न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर०ए०एस

मुकदमा नं0 96/2019

जाहुर पुत्र सलेम जाति मेव निवासी खेडली काजी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

असल प्रतिवादी

2. कमरूद्दीन
3. नसरू
4. साहबुद्दीन
5. अब्बास मौहम्मद पिसरान सलेम
6. जुम्मी पत्नि सलेम जाति मेव निवासी खेडली काजी तहसील पहाडी

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रमोद शर्मा वकील वादी

दिनांक 19.02.2020

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 161/0.26, 392/184/0.09, किता 2 रकबा 0.35 है0 बांके ग्राम ~~खेडली काजी~~ [illegible] तहसील पहाडी में स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 दावा दायरी के वक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पाये इसलिए उन्हे दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया गया है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के आराजी में समान हित निहित है। विवादित आराजी पूर्व में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता व पति सलेम की खातेदारी की आराजी थी। जिसमें सलेम 1/2 हिस्से के खातेदार थे जो फौत हो चुके है जिसकी फौती के बाद आराजी 1/2 हिस्सा विरासतन

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जिस पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त रहे और आज भी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं आराजी पूर्व में दीनू पुत्र हसमल मेव निवासी कलतरिया व वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की सम्मलित आराजी थी। जिसमें दीनू 1/2 , जुम्मी व सलेम 1/16, सहाबुद्दीन व अब्बास मौहम्मद 14/80, कमरूद्दीन,नसरू,जहूर 21/80 हिस्से के खातेदार अर्थात वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का आराजी में कुल हिस्सा 1/2 के खातेदार थे। दीनू पुत्र हसमल व वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का बंटवारा हो गया जिसका नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 15.02.2008 को दर्ज हो गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में बंटवारे से पूर्व दर्ज हिस्से को ज्यो का ज्यों बंटवारे के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है क्योंकि बंटवारे के बाद आराजी में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का हिस्सा पूर्ण मुताबिक कानून दर्ज होना चाहिए था। इसलिए वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण वर्तमान में दर्ज रिकार्ड हिस्से को कलमजन कराकर राजस्व रिकार्ड में पूर्ण हिस्से का अंकन करा पाने के अधिकारी है। आराजी मुतदाविया बांके ग्राम कलतरिया पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 का 1/8 हिस्सा 4 व 5 का 14/40 हिस्सा, संख्या 2 व 3 एंव वादी का 21/40 पर कब्जा व काश्त है। राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 348 के आधार पर किये गये बंटवारे को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में हिस्से के गलत अंकन दर्ज रिकार्ड होता चला आ रहा है जो कि खिलाफ़ कानून व मौका है। जिसे वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण कलमजन कराकर राजस्व रिकार्ड में सही अंकन करा पाने के हकदार है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण 2 लगातय 6 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब दिनांक 27.12.2019 को पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी ने उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब दिनांक 19.02.2020 को इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 161/0.26, 392/184/0.09 किता 2 रकबा 0.35 है0 बांके ग्राम कलतरिया का नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 15.02.2008 की प्रति के अनुसार असल प्रतिवादी का अमल किया गया है। जो कि 1/2 हिस्सा में किया गया है जबकि बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा इन नम्बर पर पूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जो निम्न प्रकार होना चाहिए जुम्मी पत्नि सलेम, 1/8 हिस्सा, साहबुद्दीन, अब्बास मौहम्द पिसरान

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

सलेम वाहिस्सा बराबर 14/40 हिस्सा, कमरूद्दीन, नसरू, जहूर पिसरान सलेम 21/40 हिस्सा, साकिन देह खातेदार दर्ज किया जाना उचित रहेगा।वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य में दीनू पुत्र हसमल,आंसू पुत्र कपूर, अतरू पुत्र कमलू, जहूर पुत्र सलेम, के शपथ पत्र पेश कर अपनी साक्ष्य वादी समाप्त की।

बहस वकील वादी सुनी गई। हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं जवाब तहसीलदार पहाडी का अवलोकन किया। तहसीलदार पहाडी के जवाब के आधार पर दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 161/0.26, 392/184/0.09 किता 2 रकबा 0.35 है0 बांके ग्राम कलतरिया तहसील पहाडी पर जुम्मी पत्नि सलेम, 1/8 हिस्सा, साहबुद्दीन, अब्बास मौहम्द पिसरान सलेम वाहिस्सा बराबर 14/40 हिस्सा, कमरूद्दीन, नसरू, जहूर पिसरान सलेम 21/40 हिस्सा, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में उक्त नम्बर पर हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
उ.पहाड़ी (भरतपुर)
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner